



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
// आदेश //


क. २५७ / सा.प्रशा. / २०

रायपुर, दिनांक २५ / ०१ / २०२०

छ.ग. शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक २२४/एफ २०१६-०४-०३३०३/ वित्त/नियम/चार, दिनांक १९ मई २०१७ एवं पत्र क्रमांक २२६/एफ २०१६-०४-०३३०३/ वित्त/नियम/चार, दिनांक १९ मई २०१७ छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम २०१७ के प्रावधानानुरूप, उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण अनुमोदन के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को दिनांक ०१.०१.२०२० से पुनरीक्षित वेतनमान में निम्नानुसार वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत किया जाता है--

क्र.	कर्मचारी का नाम	वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट लेबल	पुनरीक्षित वेतनमान में पूर्व वर्ष में प्राप्त वेतन.	आगामी वेतनवृद्धि तिथि	देय वेतन
पदनाम - रायपुरी शिक्षार्थी (१७२०-७४४०)					
०१	श्री खलन साहू	१	१७१००/-	०१.०१.२०२०	१७६००/-
०२	श्री परसराम सक्का	१	१६६००/-	०१.०१.२०२०	१७१००/-

आदेशानुसार


उप कुलसचिव (प्रशा.)


पृ. क. २५८ / सा.प्रशा. / २०२०

रायपुर, दिनांक २५ / ०१ / २०२०

प्रतिलिपि :-

१. वित्त विभाग,
२. नोटिस बोर्ड,
३. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।


कक्ष अधिकारी (प्रशा.)